"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 426] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 15 सितम्बर 2020 — भाद्रपद 24, शक 1942

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3–4/2013/38–2 (पार्ट). — छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग, रायपुर के पत्र क्रमांक 668/पी.यू./एस.एण्ड.ओ./2016/11996, दिनांक 29–05–2020 द्वारा कलिंगा विश्वविद्यालय, ग्राम–कोटनी पलौद, तह.–आरंग, जिला–रायपुर के अनुगामी अध्यादेश क्रमांक 109 से 113 का अनुमोदन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 की धारा 29(2) के तहत् किया गया है।

2. राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपरोक्त अध्यादेशों को राजपत्र में अधिसूचित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उपरोक्त अध्यादेश राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावशील होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., सचिव.

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –109

बैचलर आफ साइंस (योग)– बी.एस.सी. (योग)

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–109 बैचलर आफ साइंस (योग), संक्षिप्त नाम बी.एस.सी. (योग) के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर आफ साइंस (योग)।

3. संकाय :

बैचलर आफ साइंस (योग) पाठ्यक्रम विज्ञान संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन बोर्ड/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क–51, अध्याय II,बिंदु क.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 40% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 45% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह " बैचलर आफ साइंस (योग)" उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –110

मास्टर ऑफ साइंस (योग) –एम.एस.सी. (योग)

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–110 मास्टर ऑफ साइंस (योग), संक्षिप्त नाम एम.एस.सी. (योग) के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

मास्टर ऑफ साइंस (योग)।

3. संकाय :

मास्टर ऑफ साइंस (योग) पाठ्यक्रम विज्ञान संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि दो साल (चार सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 04 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। परन्तु उन उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी जिन्होंने स्नातक परीक्षा योग अथवा सम्बन्धित विषय में उत्तीर्ण की है।

6. सीट :

मूल इकाई 30 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश स्नातक की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन मंडल/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

(i) किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

(ii) संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

(iii) झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

(iv) शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

(v) आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

(vi) प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र–51, अध्याय II,बिंदु क्र.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा

जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क्र. 51 अध्याय II बिंदु क्र.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 45% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 45% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 50% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह "मास्टर ऑफ साइंस (योग) " उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र – 111

पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा इन योग –(पी.जी.डी.वाय.)

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–111 पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा इन योग संक्षिप्त नाम पी.जी.डी.वाय के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा इन योग।

3. संकाय :

पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा इन योग पाठ्यक्रम विज्ञान संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि एक साल (दो सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 03 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

यू.जी.सी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण.

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश स्नातक की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन मंडल/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क–51, अध्याय II,बिंदु क.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क. 51 अध्याय II बिंदु क.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क. 51 अध्याय II बिंदु क.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 35% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 35% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 40% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह "पोस्ट ग्रेज्युट डिप्लोमा इन योग" उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय
(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –112
बैचलर आफ डिजाइन (बी.डीईएस.)

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक–112 उपयोगकर्ता अनुभव ,फैशन डिजाइन, इंटिरियर डिजाइन, परिधान डिजाइन, आभूषण डिजाइन, फुटवियर डिजाइन आदि के क्षेत्र में बैचलर आफ डिजाइन संक्षिप्त नाम बी.डीईएस. के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर आफ डिजाइन।

3. संकाय :

बैचलर आफ डिजाइन पाठ्यक्रम अभियांत्रिकी/प्रौद्यागिकी/वास्तुशास्त्र/डिजाइन संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि चार साल (आठ सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 08 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है। प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन मंडल/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क–51, अध्याय II,बिंदु क.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क. 51 अध्याय II बिंदु क.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क. 51 अध्याय II बिंदु क.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 40% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 45% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षो में उत्तीर्ण हुआ, वह ''बैचलर ऑफ डिजाइन''(विशेषज्ञता के क्षेत्र के साथ) उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

कलिंगा विश्वविद्यालय, रायपुर

छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय

(स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, 2005 (क्रं.13 सन् 2005) के अंतर्गत स्थापित

अध्यादेश क्र –113

बैचलर आफ साइंस इन हॉटेल मैनेजमेंट– बी.एस.सी. (एच.एम.)

1. परिचय :

इस अध्यादेश को कलिंगा विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्रमांक –113 बैचलर आफ साइंस इन हॉटेल मैनेजमेंट, संक्षिप्त नाम बी.एस.सी. (एच.एम.) के रूप में जाना जाएगा।

2. शीर्षक :

बैचलर आफ साइंस इन हॉटेल मैनेजमेंट।

3. संकाय :

बैचलर आफ साइंस इन हॉटेल मैनेजमेंट पाठ्यक्रम होटल प्रबंधन/अतिथि सत्कार/पर्यटन/यात्रा संकाय के तहत संचालित किया जायेगा।

4. अवधि :

पाठ्यक्रम की अवधि तीन साल (छः सेमेस्टर) की होगी एवं इसकी अधिकतम अवधि 06 वर्ष होगी।

5. पात्रता :

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल या किसी अन्य मान्यता प्राप्त उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल से 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण।

6. सीट :

मूल इकाई 60 सीटों की होगी। एक से अधिक इकाइयाँ भी स्थापित की जा सकेगी।

7. प्रवेश :

जैसा कि अध्यादेश क्र–1 में वर्णित है, प्रवेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा की प्रावीण्यता के आधार पर दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित छात्रों को वरीयता दी जाएगी और राज्य सरकार द्वारा प्रवेश एवं आरक्षण से संबंधित सभी दिशा–निर्देशों का पालन किया जायेगा।

8. शैक्षणिक वर्ष :

प्रत्येक वर्ष में शैक्षणिक सत्र का एक चक्र होगा जो कि जुलाई से जून तक का होगा।

9. चयन :

विश्वविद्यालय प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष की शुरूआत से पहले विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और अन्य प्रचार माध्यमों, समाचार पत्रों में प्रवेश अधिसूचना जारी करेगा। मेरिट के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित उम्मीदवारों की सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी या छात्रों को सीधे उनके प्रवेश के बारे में सूचित किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची विश्वविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के परिणाम प्रतीक्षित हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इस तरह के उम्मीदवार के लिए अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। अगर उम्मीदवार निर्धारित प्रतिशत के साथ योग्यता परीक्षा को पास करने में विफल रहता है, तो उसका प्रवेश रद्द माना जायेगा। इसके अलावा उम्मीदवार को परीक्षा फॉर्म भरने से पहले निर्धारित योग्यता के साथ उत्तीर्ण होने की मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी। प्रवेश एवं आरक्षण के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।

10. शुल्क :

पाठ्यक्रम का शुल्क प्रबंधन मंडल/ अकादमिक परिषद के द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाएगा तथा उसे छ.ग. निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11. प्रवेश को रद्द करना (निरस्तीकरण):

निम्नलिखित परिस्थितियों में छात्र का प्रवेश रद्द किया जा सकता है–

i. किसी भी स्तर पर छात्र को शासकीय मानदंड/दिशानिर्देश या विश्वविद्यालय के निर्धारित मानदंड के अनुसार योग्य नहीं पाया जाता है।

ii. संस्थान/विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता का दोषी पाए जाने पर।

iii. झूठे/जाली दस्तावेज का निर्माण करके अनुचित/अवैध तरीके से प्रवेश लिया हो।

iv. शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

v. आवेदन पत्र किसी भी तरह से अधूरा है।

vi. प्रवेश के लिए सहायक दस्तावेज संलग्न नहीं है।

सभी आवश्यक दस्तावेजों और फीस के सत्यापन और जमा करने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकरण संख्या छात्र को प्रदान की जाएगी।

12. माध्यम :

अध्यापन का माध्यम अंग्रेजी एवं हिन्दी होगा एवं परीक्षा अंग्रेजी/हिन्दी में दी जा सकेगी।

13. उपस्थिति :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क.–51, अध्याय II,बिंदु क.7)

(i) विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए नियमित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा। उसे प्रत्येक विषय में कम से कम 60 व्याख्यान में उपस्थित होना अनिवार्य होगा जिसमें व्याख्यान, प्रायोगिक एवं विशेष कक्षा के साथ 75 प्रतिशत उपस्थिति परीक्षा में शामिल होने के लिए अनिवार्य होगी।

(ii) विशेष परिस्थिति में विश्वविद्यालय के कुलपति के द्वारा 15 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी जिसमें बीमारी, एनसीसी/एनएसएस शिविर एवं परेड, अंतर्विश्वविद्यालयीन, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की क्रीड़ा प्रतियोगिता में सहभागिता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालयीन कार्यों और शैक्षणिक भ्रमण, फील्ड वर्क, फील्ड ट्रिप में संलग्नता के आधार पर छूट दी जा सकती है बशर्ते उपस्थिति अभिलेख प्रभारी शिक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कर संस्थान के सक्षम अधिकारी को कार्यक्रम/गतिविधि आदि के दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया जावेगा।

(iii) बीमारी/चिकित्सा विकलांगता के मामले में पंजीकृत चिकित्सक/सार्वजनिक अस्पताल द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा या तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सिविल सर्जन) या विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केंन्द्र द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित किया गया हो। कलिंगा युनिवर्सिटी/संस्थान/विभाग के आधिकारिक डॉक्टर। इस तरह के आवेदन या तो उपचार/अस्पताल में भर्ती होने की अवधि के दौरान या वापसी के बाद दो सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किए जाने पर भी उपस्थिति में छूट दी जाएगी।

14. मूल्यांकन और परीक्षा :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क. 51 अध्याय II बिंदु क.8)

शिक्षण और मूल्यांकन योजना के अनुसार छात्र के प्रदर्शन का मूल्यांकन आंतरिक मूल्यांकन, असाइनमेंट, शोध प्रबंध/शोध/परियोजना कार्य, क्षेत्र सर्वेक्षण, वाइवा वॉइस, सेमेस्टर वार विश्वविद्यालय परीक्षाओं आदि जैसे सतत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाएगा।

15. उत्तीर्ण होने हेतु मानदंड :(कलिंगा विश्वविद्यालय अध्यादेश क. 51 अध्याय II बिंदु क.12 का प्रासंगिक भाग)

(i) पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु, सेमेस्टर के अंत में आयोजित होने वाली मुख्य परीक्षा में, विषय के शिक्षक द्वारा सतत् मूल्यांकन के अंको को शामिल करके, प्रत्येक विषय में पृथक–पृथक न्यूनतम 40% अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग के अंको का न्यूनतम 45% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। किसी भी विषय की परीक्षा में 40% से कम अंक तथा समस्त विषयों के कुल योग में 45% से कम अंक प्राप्त विद्यार्थी को अनुत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

(ii) एक छात्र निर्धारित शुल्क के भुगतान पर एक विशिष्ट पाठ्यक्रम के परीक्षा स्क्रिप्ट के पुनर्मूल्यांकन के लिए, परिणाम की घोषणा की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आवेदन कर सकता हैं पुनर्मूल्यांकन का अर्थ यह सत्यापित करना होगा कि क्या सभी प्रश्न और उनके भाग को प्रश्न पत्र और अंकों के कुल के अनुसार विधिवत चिन्हित किया गया है। एक विसंगति पाए जाने की स्थिति में दोनों परिणामों में उपयुक्त परिवर्तन के साथ–साथ संबंधित सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के मार्कशीट को भी ठीक किया जाएगा।

16. उपाधि प्रदाय करना :

एक छात्र जो उपरोक्त कंडिका 15 के सभी मानदंडों के अनुसार सभी पेपरों में और सभी वर्षों में उत्तीर्ण हुआ, वह '' बैचलर आफ साइंस इन हॉटेल मैनेजमेंट'' उपाधि के लिए पात्र होगा।

17. सामान्य :

(i) प्रत्येक कोर्स का विस्तृत पाठ्यक्रम तथा पाठ्यक्रम आव्यूह (Matrix) अध्ययन बोर्ड द्वारा तैयार किया जाएगा। जो अकादमिक परिषद और कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) किसी विवाद की स्थिति में, उसका निराकरण छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होगा।

(iii) छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग (CGPURC) के पूर्व अनुमोदन से अन्य कोई प्रावधान जो ऊपर वर्णित नही है,वह कलिंगा विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर बनाए गए नियमों और विनियमों से शासित होगा।

अटल नगर, दिनांक 14 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 3–4/2013/38–2 (पार्ट). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14–08–2020 का अंग्रेजी अनुवाद छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी., सचिव.

Atal Nagar, the 14th August 2020

NOTIFICATION

No. F 3-4/2013/38-2 (Part). — Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission, Raipur vide its Letter No. 668/PU/S & O/2016/11996, Dated 29-05-2020 has approved the New Ordinances No. 109 to 113 of Kalinga University, Village-Kotni Palod, Teh.-Arang, Distt.-Raipur, Under Section 29(2) of Chhattisgarh Private Universities (Establishment & Operation) Act, 2005.

2. The State Government hereby gives its approval for notification of these Ordinances in Official Gazette.

3. The above Ordinances shall come into force from the date of its publication in the official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ALARMELMANGAI D., Secretary.

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 109

Bachelor of Science (YOGA)-B. Sc. (Yoga)

1. **INTRODUCTION :**
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No- 109 Bachelor of Science Yoga, abbreviated as B. Sc. (Yoga).

2. **TITLE :**
Bachelor of Science (Yoga).

3. **FACULTY :**
Bachelor of Science (Yoga) program will be under Faculty of Science.

4. **DURATION :**
The duration of the program shall be Three years (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
Must have passed 10+2 Examination from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any other recognized Board of Secondary Education.

6. **SEATS :**
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

.

.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelor of Science (Yoga)" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements .

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 110

Masters of Science (YOGA) - M. Sc. (Yoga)

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No- 110 Master of Science (Yoga), abbreviated as M. Sc. (Yoga)

2. TITLE :

Master of Science (Yoga).

3. FACULTY :

Master of Science (Yoga) program will be under Faculty of Science.

4. DURATION :

The duration of the program shall be Two years (Four semesters) and Maximum Duration will be 04 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed Graduation in any discipline from any recognized University by U.G.C. However preference will be given to the candidates who have passed Graduate Examination in Yoga or allied subjects.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 30 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No.01. Admission shall be granted on the merit of Graduation. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed.

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification, on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 45% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 45% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 50% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 45% of aggregate marks in a paper and less than 50% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Masters of Science (Yoga)" Degree

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements .

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 111
Post Graduate Diploma in Yoga (PGDY)

1. INTRODUCTION :

This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No- 111 Post Graduate Diploma in Yoga, abbreviated as PGDY.

2. TITLE :

Post Graduate Diploma in Yoga.

3. FACULTY :

Post Graduate Diploma in Yoga (PGDY) program will be under Faculty of Science.

4. DURATION :

The duration of the program shall be One year (Two semesters) and Maximum Duration will be 03 Years.

5. ELIGIBILITY :

Must have passed Graduation in any discipline from any recognized University by U.G.C.

6. SEATS :

The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. ADMISSION :

As specified in Ordinance No.01. Admission shall be granted on the merit of Graduation. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed.

8. ACADEMIC YEAR :

There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification, on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 35% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 35% marks separately in each subject/paper in end semester examination. And 40% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 35% of aggregate marks in a paper and less than 40% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Post Graduate Diploma in Yoga (PGDY)" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements .

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No-112
Bachelor of Design (B. Des.)

1. **INTRODUCTION :**
This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No- 112 Bachelor of Design in the area of User Experience, Fashion Design, Interior Design, Jewellery Design, Apparel Design, Footwear Design etc. abbreviated as B. Des.

2. **TITLE :**
Bachelor of Design.

3. **FACULTY :**
Bachelor of Design program will be under Faculty of Engineering/Technology/ Architecture/Design.

4. **DURATION :**
The duration of the program shall be Four years (Eight semesters) and Maximum Duration will be 08 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
Must have passed 10+2 Examination from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any other recognized Board of Secondary Education.

6. **SEATS :**
The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning its assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelors of Design (with the area of specialization)" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

KALINGA UNIVERSITY, RAIPUR

Established under Chhattisgarh Private Universities (Establishment and Operation) Act, 2005 (No. 13 of 2005)

Ordinance No- 113

Bachelor of Science in Hotel Management -B. Sc. (HM)

1. **INTRODUCTION :**
   This Ordinance shall be known as Kalinga University Ordinance No-113 Bachelor of Science in Hotel Management, abbreviated as B. Sc. (HM)

2. **TITLE :**
   Bachelor of Science in Hotel Management.

3. **FACULTY :**
   Bachelor of Science in Hotel Management program will be under Faculty of Hotel Management/ Hospitality/Tourism/Travel.

4. **DURATION :**
   The duration of the program shall be Three years (Six semesters) and Maximum Duration will be 06 Years.

5. **ELIGIBILITY :**
   Must have passed 10+2 Examination from Chhattisgarh Board of Secondary Education or from any other recognized Board of Secondary Education.

6. **SEATS :**
   The basic unit shall be of 60 seats. Multiple units can also be set up.

7. **ADMISSION :**
   As specified in Ordinance No-01. Admission shall be granted on the basis of merit of 10+2 Examination. Preference will be given to students belonging to the State of Chhattisgarh and all guidelines issued by the State Government related to admission and reservation shall be followed

8. **ACADEMIC YEAR :**
   There will be one academic cycle per year from July to June .

9. SELECTION :

The University will issue admission notification on the notice board of the University and in other publicity media, in news paper before the start of every academic year. The list of candidates selected for admission on merit basis will be displayed on the website or the students will be informed directly about their admission. The list of the selected student will also be displayed on the notice board of the university. The candidates whose results are awaited can also apply. However, such candidate must produce, the proof of appearing in the final year of qualifying examination, provided if the candidate fails to clear the qualifying exam with required percentage his/her admission shall be treated as cancelled. Further provided that the candidate must submit mark sheet of qualifying examination before the filling of examination form. Directives issued by the Government of Chhattisgarh, from time to time, regarding admission and reservation, shall be followed while making admissions.

10. FEE :

The course fee will be decided by the Board of Management/ Academic Council from time to time and shall be submitted for approval to CGPURC.

11. CANCELLATION OF ADMISSION :

Admission of a student may be cancelled under following circumstances:

i. At any stage, if student is not found qualified, for the Programme, as per Government norms/guidelines or the eligibility criteria prescribed by the University.
ii. Involvement in gross indiscipline in the Institute/University
iii. She/he is found to have produced false/forged documents or found to have used unfair means to secure admission.
iv. The fee is not paid.
v. The application form is incomplete in any way.
vi. The supporting documents required for admission are not enclosed.

Registration number will be assigned to the student by the University after verification and submission of all the necessary documents and fees.

12. MEDIUM OF INSTRUCTION:

English and Hindi shall be the medium of Instruction and the Examination may be given in English or Hindi.

13. ATTENDANCE: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.7.):

(i) A candidate shall be deemed to have undergone a regular course of study in the university, if he/she has attended at least 60% of the lectures in each subject attendance at least 75% in the aggregate of lectures, tutorials and practical in order to be eligible to appear at the Examination.

(ii) A relaxation to the maximum extent of 15% of the total attendance can be accorded to student by the Vice Chancellor on account of sickness, attendance at N.C.C/N.S.S camp and parades, participation as a member of the University team in any inter or intra university competition. Participation in the University functions and the prescribed educational tours/field trips/ field work, provided that the attendance record, duly counter signed by the teacher-in-charge, is sent to the head of the Institute concerned within two weeks of the function/activity etc.

(iii) Provided further in case of sickness/medical disability, an application for the condonation shall be supported by a medical certificate issued by a registered medical practitioner/public hospital and duly authenticated by either the Chief Medical Officer (Civil Surgeon) or the University Health center or Official Doctor of Kalinga University/Institute/ Department. Such applications must be submitted either during the period of treatment/hospitalization or within two weeks following recovery.

14. EVALUATION & EXAMINATION: (Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter II point No.8.):

The performance of student shall be evaluated through Continuous Evaluation like Internal Assessment, Assignment, Dissertation/Thesis/Project work, Field Survey, Viva Voce, Semester wise University examinations etc, as per the Teaching & Evaluation Scheme.

15. CRITERIA FOR PASSING: (Relevant part of Kalinga University Ordinance No. 51, Chapter IV point No.12.):

(i) Students, obtaining minimum of 40% mark in aggregate in each paper that includes the marks of end semester examination and the marks of teacher's continuous evaluation along with 40% marks separately in each subject/paper in end semester examination, and 45% marks in aggregate of all the papers shall be essential for passing the course and earning it's assigned credits. A candidate who secures less than 40% of aggregate marks in a paper and less than 45% of marks in grand total in a year shall be deemed to have failed in that course.

(ii) A student may apply, within two weeks from the date of the declaration of the result, for revaluation of the examination script(s) of a specific course(s) on the payment of prescribed fees. Revaluation shall mean verifying whether all the question and their part have been duly marked as per the question paper, and the totaling of marks. In the event of a discrepancy being found the same shall be rectified through appropriate changes in both the results as well as marks-sheet of the concerned semester end examination.

16. AWARD OF DEGREE :

A student who has passed as per the above criteria mentioned in clause 15 in all the papers and in all the years shall be eligible for the award of "Bachelor of Science in Hotel Management" Degree.

17. GENERAL :

(i) Detailed syllabus of each course and revision in course matrix shall be prepared by the Board of Studies and duly approved by the Academic Council and the Vice-Chancellor as per the requirements.

(ii) In case of any dispute the action shall lie within the Jurisdiction of High court of Chhattisgarh at Bilaspur.

(iii) Any other provision not contained in the above shall be governed by the rules and regulations framed by the Kalinga University from time to time, with the prior approval of Chhattisgarh Private Universities Regulatory Commission (CGPURC).

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.